



(1)

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक - 4 ख यानि 2,00,000/- प्रति हेक्टेयर

स्टाम्प का कुल योग - 15,600/-

लेखपत्र का प्रकार - बैनामा

नाम व पता विक्रेता - श्री लाला राम पुत्र श्री फुलुवा निवासी-

ग्राम भोजला, परगना व जिला झोंसी



लाला राम





(2)

नाम व पता क्रेता

- मदाकनी एस्टेट्स प्रा० लि० 1:8, अपर फर्स्ट

फ्लोर 7, टॉलस्टाय मार्ग, प्रकाश दीप बिल्डिंग

नई दिल्ली 11006 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

श्री कपिल तिवारी पुत्र श्री सी०एस० तिवारी

निवासी- सी-16 & 17/G-7 ओशियन पैलेस

शालीमार गार्डन-2 साहिबाबाद, गाजियाबाद

(उ०प्र०)

लालारम





(3)

सम्पत्ति का विवरण - खाता संख्या 316 आराजी नम्बर 425 रकवा

1.546 हे० व आराजी नम्बर 437 रकवा 0.785 हे० कुल 2 कित्ता

रकवा 2.331 हे० का 1/3 भाग यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया

है। वयशुदा आराजी वाकै मौजा भोजला ब्लाक बड़ागोंव परगना व जिला

झोंसी की है। वयशुदा आराजी राकर दायम सिंचित है। विक्रित आराजी बाला जी झोंसी

मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूर तथा आबादी से 1 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है

विक्रित आराजी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय मार्ग एवं लिंक मार्ग से लगी नहीं है।

बालाजीराम

H. S. S. S.





(4)

विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुआँ आदि नहीं है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है, विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रेता की पत्रिक सम्पत्ति है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये हैं जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी का नया लगान 12 रूपया 90 पैसे सालाना है।

लालाराम






(5)

विक्रय मूल्य - 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रुपया जो जरिये

चैक नं० 817674 पंजाब नेशनल बैंक शाखा टॉलस्टाय

मार्ग नई दिल्ली, दिनांक 27-3-2006 पूर्व प्राप्त कर

लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा,

1,56,000/- एक लाख छप्पन हजार

निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

रुपया से अधिक नहीं है।

लातारा





(6)

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्तावार किफालत से पाक साफ व वरी है चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें

लातलभम



H. J. J. J.





(7)

कागजात मालिकान से मेरा चम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये

मालिकान



M. J. J. J.



500Rs



(8)

तथ्यों के आधार पर तथा तहसीलदार झॉसी द्वारा जारी किस्म जमीन प्रमाण पत्र के आधार पर तथा क्षेत्रीय लेखपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा हाजा के साथ पेश है बिना किसी जबर या दबाव के कुल मूल्य पूर्व प्राप्त कर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

मालवारा

[Handwritten signature]



100Rs.



(9)

दिनांक : 12-04-2006

प्रारूपकर्ता : पं० अखिलेश शर्मा, बसीका नवीस, तहसील, झाँसी

गणतन्त्र प्रजासत्ताक
भारत
संविधान
अनुच्छेद 19(1)(g)
अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 31

[Handwritten signature]



श्री अखिलेश शर्मा



लालाराम

गवाह (1) नारायणदास पुत्र श्री लालाराम गवाह झाँसी

गवाह (2) ~~श्री अखिलेश शर्मा~~ कलकत्ता, झारखण्ड झाँसी

लालाराम दास इ. लालाराम पं० अखिलेश शर्मा
बसीका नवीस
तहसील निला झाँसी
अनुच्छेद 19(1)(g)
अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 31
दिनांक 12-04-2006
श्री अखिलेश शर्मा

बसंत नान्दाला
झाँसी

